कंडिका क्रमांक -26-1

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग–1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिये)

1. परियोजना विवरण :–

(i) अपेक्षित वनभूमि के लिये प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित रायपुर द्वारा 132 के.व्ही. डी.सी.एस.एस. बारसूर – बीजापुर विद्युत पारेषण लाईन का निर्माण किया जाना है। उक्त लाईन राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के दोनों किनारों से प्रस्तावित है। इस निर्माण कार्य में दंतेवाडा वनमंडल में 71.705 हेक्टेयर एवं बीजापुर वनमंडल में 27.714 हेक्टेयर कुल 99.419 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित होती है जो न्यूनतम है।

(ii) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनो की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

संलग्न है।

(iii) परियोजना की लागत।

लगभग 78.75 करोड (अट्ठहत्तर करोड पच्छहत्तर लाख) मात्र।

(iv)वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।

जिला–बीजापुर, जो राज्य के सूदूर दक्षिण मे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थित है। यह जिला राज्य की राजधानी रायपुर से 488 कि.मी. एवं आयुक्त कार्यालय बस्तर से लगभग 200 कि.मी. दूर घने जंगलो से घिरा जिला है। वर्तमान में जिले में विघुत आपूर्ति 100 कि.मी. दूर स्थित 220 के. व्ही. उपकेन्द्र बारसूर से 33 के व्ही की लाइन के माध्यम से किया जा रहा है। चूकिं 33 के.व्ही. की लाइन के घने जंगलो एवं पहाडी क्षेत्र से होकर गुजरने से विघुत आपूर्ति बार–बार बाधित होती है एवं लाइन की लंबाई अधिक होने से क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या भी है। इस समस्या के निराकरण हेतू एवं जिला मुख्यालय होने के कारण बीजापुर में 132/33 के.व्ही उपकेन्द्र की स्थापना किया जाना स्वीकृत है जिसके लिये 132 के.व्ही बारसुर–बीजापुर लाईन का निर्माण किया जाना है।

इस परियोजना से क्षेत्र में विद्युत पंप के द्वारा सिंचाई सुविधाओं से कृषि क्षेत्र का विकास होगा जो कि स्थानीय लोगो की आर्थिक स्थिति में सुधार / समृद्धि में मददगार साबित होगा। भविष्य में इस क्षेत्र में रोजगार के नये अवसर उत्पन्न होंगें, जो कि स्थानीय लोगो के जीवन स्तर को बढ़ाने में योगदान देगा।

(v)लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये)

लागत लाभ विश्लेषण संलग्न है।

(vi)रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।

इस परियोजना के दौरान लगभग 15000 कार्य दिवस अस्थाई रोजगार उत्पन्न होने की संभावना है। इसके अलावा परियोजना के पूर्ण होने पर बीजापुर जिले में विद्युत पंप के द्वारा सिंचाई सुविधाओं से कृषि क्षेत्र का विकास होगा जो कि स्थानीय लोगो की आर्थिक स्थिति में सुधार /

समृद्धि में मददगार साबित होगा। यह क्षेत्र खनिज सम्पदा से भी समृद्ध है, । जिससे भविष्य में इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी एवं इस क्षेत्र में रोजगार के नये अवसर उत्पन्न होंगें, जो कि स्थानीय लोगो के जीवन स्तर को बढ़ाने में योगदान देगा।

2. कुल अपेक्षित भूमि उद्देश्यवार विवरण।

132 के.व्ही. डी.सी.एस.एस. बारसूर – बीजापुर विद्युत पारेषण लाईन निर्माण हेतु = **99.419 हेक्टेयर वनभूमि** (दंतेवाडा वनमंडल में 71.705 हेक्टेयर एवं बीजापुर वनमंडल में 27.714 हेक्टेयर)

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।

(i) परिवार की संख्या।

निरंक।

(ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या।

निरंक।

(iii) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिये)

निरंक।

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हां/नही)

नहीं।

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)

संलग्न है।

6. निर्देशो के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।

चैकलिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण–पत्र संलग्न है।

(प्रवीण प्रकाश सिंह)
कार्यपालन अभियन्ता
अति उच्च दाब (संधारण) संभाग
छ.रा. वि. पारे. क. मर्यादित ,भिलाई (छ.ग.)

तिथि :– 16-06-2016

स्थान :– Bh./ai

?